

RR (17)

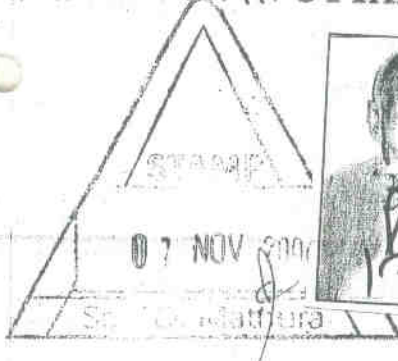
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 17803/06

8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177335



8

1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम....मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.506 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 2500000/-रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2501854/-रुपये

24/11/06
स्टाफ अश्विनियम की धारा 16-
के मातापिता इकाईनामा सं.....
वर्ष.....पर अदा किया गया
हटाफ नं.....विशेष विज्ञापन.....
के साथ समायोजित नि.मा. रकबा 17803/06

13/11/06

रजत शर्मा

रजत शर्मा

Sharma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177336

(2)

9. स्टाम्प देय 250200/-रुपये जिसमें से 10000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये
इकरारनामा दिनांक-13.3.2006 प्रलेख संख्या-2441 के द्वारा अदा किया जा चुका
है व शेष 240300/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है

10. सरकारी दर भूमि सड़क के सहारे होने की वजह से 2000000/-रुपये
प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 70 क्रमांक 19 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र 30नि० मथुरा -प्रथम

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रामभरोसी पुत्रश्री हीरालाल निवासी ग्राम असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता
प्रथमपक्ष व श्री सुभाषचन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व० श्री मूलचन्द जी खण्डेलवाल निवासी
कुशकगली, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

(1) रामभरोसी

सुभाषचन्द

Amawas



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177337



(3)

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी
111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा

राम अग्रवाल

सुभाष चन्द्र

Amawal

2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177338



(4)

हमकि रामभरोसी पुत्रश्री हीरालाल निवासी ग्राम असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री सुभाषचन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व० श्री मूलचन्द जी खण्डेलवाल निवासी कुशकगली, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-112 व खसरा नंबर-189 रकबा 0.506 हैक्टेयर लगानी 8.35 रुपया सालाना बाकै मौजानगला सदोला तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय

सुभाषचन्द

सुभाषचन्द

Approved



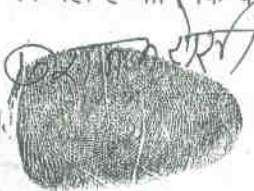
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177339



(5)

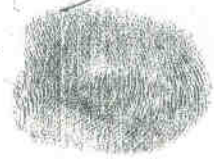
में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता



सुभाष चन्द्र



Amawel





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177340



(6)

प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क के सहारे होने की वजह से सरकारी रेट 2000000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 2501854/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-13.3.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द

02/11/2006

25/11/2006

25/11/2006



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177341



(7)

3544 के सफा 299/304 नंबर-2441 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 10000/-रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/-रुपये का स्टाम्प कमकर 9900/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 240300/-रुपये का

शुभम



शुभम



Sharma





177342

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(8)

स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2500000/- पच्चीस लाख रुपया जिसके आधे 1250000/- बारह लाख पचास हजार रुपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल

विशाल/म



रुद्रा/पंच



Amrakes





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177343



(9)

निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 60000/-रुपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा दिनांक-13.3.2006 द्वारा पाये व शेष 2440000/-रुपये नकद पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधि

जिसका नाम



श्रीजमुनाधाम

Mathura





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177344



(10)

आकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे

Handwritten signature
[Fingerprint]

Handwritten signature

Handwritten signature
[Fingerprint]

[Fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

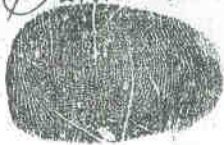
177345



11)

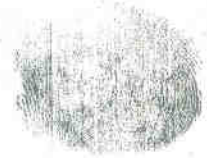
या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार

विशाल गोस्वामी



23/11/2006

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177346

12

वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्त
जाब्ता मय खर्चों के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा । आराजी
एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं
खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं

१० गान्धी (१)

२३ गान्धी

१० गान्धी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928001

13

है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि०-2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा

राजेश (R)

सुनील

Amarch



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928002

14

105/108 पर नंबर-441 पर दिनांक-2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

रासबिहारी

23/1/2007

Ramawal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 928003

15

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-8.11.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

गवाह श्री शशि हृ पट

सेरलिस स्ट्रामारेसी
वि कासवार पुर

गवाह श्री

Hanirahon yadav Sh
Sh. Kamesh Bihari Jais
121- Meelharan Colley
K-n mon

क्रमांक ७७ दिनांक ०८/११/२००६

नाम श्री पुत्र
पता ७६

डॉ० नरेश कुमार जाकिड़
समस्त रोकड़िया
कोटागार, मथुरा



आज दिनांक 13/11/2006 को
बही सं 1 जिल्द सं 3973
पृष्ठ सं 219 से 250 पर क्रमांक 12803
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
13/11/2006



उत्तराखण्ड राजपत्र

परगना : मथुरा

तहसील : सदर

ग्राम क्रमांक : 07010200116

ग्राम का नाम : नाला सदराला

जनपद : मथुरा

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाला खालानी क्रम संख्या	खालेदार का नाम	मिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाले के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	भूखेक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खालेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगाना वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
-------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	--	--	---	--	---------

3

4

5

6

7-12

13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00078 ग्रामपंचायती

हीराताल

नि0 अमरपुर

1404फ0

189

0.5060

1414फ. ख. आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा बाद सं.319

TM ता.फा.15.12.06 के अनुसार खाला सं.78 गाला सं.

189/0.506 म.रा.8.35 से विवेका रामपंचायती प.

हीराताल निवासी अमरपुर का नाम निरस्त करके

एस.जे.बी. गलोबल द्वारा सडौरा राम अग्रवाल से

उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111 श्री नमनाधाम

कालानी मथुरा का नाम बदलिये देनाप. दिनांक 8.11

के आधार पर बदले से म. अधिकत हो।

ह.ARK.15.12.06

1414फ न्यायालय उपायलोककारी मथुरा बाद सं.02/06-07

एस.जे.बी. गलोबल आदि बनान सरकार धारा-143 से विवेका

म.रा.8.35 से विवेका राम अग्रवाल से

धारा-143 दिनांक 16.1.07 प्रांत 23.2.07 के अनुसार

उक्त बाद में पारित आदेश दिनांक 16.1.07 के अनुसार

निम्नप्रकार अग्रवाल घोषित किया जाता है।

मौजा नाला सदराला-खालेदार-एस.जे.बी. गलोबल द्वारा

राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111

श्रीजमुनाधाम कालानी मथुरा खाला सं.78 खसरा सं.189

रकबा 0.506 म.रा.8.35 को अग्रवाल घोषित किया जाता

है। ह.ARK.23.2.07

कुल गाटे : 1

कुल क्षेत्र :

0.5060

8.35

पारितोषिक प्रमाण

दिनांक 12.11.2007

253